

मुजफ्फरपुर जिला में वर्तमान समय में समावेशी शिक्षा का रूप: एक विश्लेषण

¹ABHILASHA KUMARI, ²Dr PRAMOD KUMAR

¹PhD RESEARCH SCHOLAR GEOGRAPHY BRABU MUZAFFARPUR

²HOD RDS COLLEGE PG DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

सार: वर्तमान समय में सामान्य शिक्षा के साथ-साथ समावेशी शिक्षा पर विशेष रूप से जोर दिया जा रहा है। समावेशी शिक्षा जगत की आधुनिक मांग है जिसके आधार पर चलकर एक विशेष शिक्षा व्यवस्था का निर्माण किया गया है। इसके अंतर्गत दिव्यांगों, मंद बुद्धि, मेधावी छात्रों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को एक साथ बैठकर एक ही स्थान में शिक्षा दिलाने की व्यवस्था करने की योजना का निर्माण किया गया जिसे समावेशी शिक्षा के नाम से जाना जाता है। समावेशी शिक्षा दिव्यांगों का मनोबल बढ़ाने का भी कार्य करती है।

समावेशी शिक्षा का परिभाषा-UNESCO के अनुसार- व्यापक रूप में समावेशन को एक ऐसे सुधार के रूप में लिया जाता है जिसमें सीखने वालों की भिन्नता का आदर किया जाता है।

समावेशी शिक्षा में छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान रखा जाता है। सभी को एक समान मानकर इसमें छात्रों को शिक्षा प्रदान की जाती है। शिक्षा के समान अवसर के गुण के सभी सिद्धान्तों का पालन समावेशी शिक्षा में किया जाता है। समावेशी शिक्षा हेतु विशिष्ट प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता होती है जिससे वे छात्रों के मध्य समन्वय स्थापित कर सकें। शिक्षण की इस नवीन प्रणाली से समाज के वे बच्चे लाभान्वित होते हैं जिन्हें अपनी दिनचर्या से लेकर पढाई पूरी करने तक विशेष देखभाल की आवश्यकता पड़ती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी बिहार में विकलांग बच्चे विकास की मुख्यधारा से अलग-अलग दिखाई पड़ते हैं। सरकारी और गैर-सरकारी स्तर पर अनेक विकास के लिए किए गए अनेकानेक प्रयत्नों के बावजूद विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं आया है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की अधिकांश आबादी आज भी समाज की मुख्यधारा से जुड़ नहीं पाई है। विकास के एक मुख्य मापदंड के रूप में शिक्षा के महत्त्व को देखते हुए यह आवश्यक है कि विकलांग बच्चों की शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान दिया जाए चूँकि बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में समावेशी शिक्षा की दशा व दिशा दोनों ही संतोषजनक नहीं है।

वस्तुतः अशिक्षा से उत्पन्न होने वाली सामाजिक विकृतियों एवं असमानता से बचने की बात करते हुए समावेशी शिक्षा की बात कही गई है जिससे विकलांग बच्चे अपने आपको समाज का एक कटा हुआ एक भाग न समझकर समाज का हिस्सा ही समझे। इसके साथ ही विद्यालय शिक्षक एवं समाज के लोग भी उनके साथ सामान्य व्यवहार करें। यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक उत्तरदायित्व है कि समाज में रह रहे विशिष्ट बालकों की शिक्षा-दीक्षा सामान्य बच्चों की भांति हो। इसके लिए समुचित प्रबंध होनी चाहिए। इस प्रकार उन्हें समावेशी शिक्षा में शामिल करते हुए उनको देश-प्रदेश तथा समाज में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार किया जा सके।

प्रस्तावना:-

मानव जीवन में शिक्षा की इतनी अधिक उपयोगिता है "बिना शिक्षा व ज्ञान के मनुष्य पशु के समान है" शिक्षा का संबंध मनुष्य की संज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं सामाजिकता के गुणों के उन्नयन से है। वर्तमान समय में सामान्य शिक्षा के साथ-साथ समावेशी शिक्षा पर विशेष बल दिया जा रहा है चूँकि समावेशी शिक्षा के तहत वे बच्चे लाभान्वित होते हैं जिन्हें अपनी दिनचर्या से लेकर पढाई पूरी करने तक विशेष देखभाल की आवश्यकता पड़ती है ऐसे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे सामान्यतः दृष्टि, श्रवण एवं अधिगम अक्षमता के साथ-साथ मानसिक मंदता और बाधिरंधता से ग्रस्त होते हैं। इन्हें सामान्य बच्चों के साथ समायोजित होने में बड़ी कठिनाई होती है। माता पिता व अभिभावकों की सोच भी इन बच्चों के प्रति सकारात्मक नहीं होती है, जिसके परिणामस्वरूप वे स्कूली शिक्षा से बाहर ही रह जाते हैं। समाज में ऐसे बच्चों की आबादी 5 से 10 फीसदी है इसीलिए ऐसे बच्चों की शिक्षा में समावेशन किया जाना वर्तमान समय व काल की मांग है।

यह एक ऐसी शिक्षा पद्धति है जो यह तय करती है कि प्रत्येक छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और इसमें उनकी योग्यता, शारीरिक अक्षमता, भाषा-संस्कृति, पारिवारिक पृष्ठभूमि तथा उम्र किसी भी प्रकार का अवरोध पैदा न कर सके। 'आज ब्रिटेन तथा अमेरिका जैसे कुछ विकसित देशों में इस प्रकार की शिक्षण संस्थाएं आवासीय विद्यालयों के रूप में कार्यरत हैं' लेकिन हमारा देश भारत विकासशील होते हुए भी इस प्रकार की संस्थाओं से आभावग्रस्त है उसमें भी विशेषकर बिहार जैसे राज्य के मुजफ्फरपुर जिला में बिहार सरकार गुणावत्तापूर्ण शिक्षा के लिए टिडोरा पिट रही है परन्तु दुर्भाग्य यह है कि सामान्य बच्चों को समावेशी शिक्षा का पुर्णतः लाभ नहीं मिल रहा है तो विकलांग बच्चों की शिक्षा-दीक्षा तो रिक्तपना ही कही जा सकती है। बिहार में समावेशी शिक्षा के तहत न तो ऐसा विद्यालयी-वातावरण तैयार किया गया है और न ही शिक्षक ही समावेशी शिक्षा के अनुरूप अपने आपको ढाल पा रहे हैं। माता-पिता भी समावेशी शिक्षा की जरूरत को नहीं समझ पा रहे हैं।

समावेशी शब्द का प्रचलन 1990 के दशक के मध्य से बढ़ा जब 1994 में सलामंका (स्पेन) में यूनेस्को द्वारा विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं पर विशेष विश्व सम्मेलन सुलभता और समता का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में 92 सरकारों और 25 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन का समापन इस उद्घोषणा के साथ हुआ कि "प्रत्येक बच्चे की चरित्रगत विशिष्टताएँ, रुचियाँ योग्यता और सीखने की आवश्यकताएँ अनोखी होती हैं" इसलिए शिक्षा प्रणाली में इन विशिष्टताओं और आवश्यकताओं की व्यापक विविधता का ध्यान रखा जाना चाहिए। सलामंका वक्तव्य में इस बात पर बल दिया गया कि 'हर शिशु को शिक्षा बुनियादी अधिकार है और उसे अधिगम का एक स्वीकार्य स्तर प्राप्त करने और बनाये रखने का अवसर दिया जाना चाहिए।'

डाकरसेनेगाल(2000) में आयोजित विश्व शिक्षा मंच (वर्ल्ड एजुकेशन फोरम) पर भी शिक्षा में समावेशन की बात दोहराई गई। डाकर सम्मेलन में स्पष्ट किया गया कि किसी व्यक्ति या बच्चों के उच्च कोटि की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने के अवसर से केवल इसलिए वंचित

नहीं किया जाना चाहिए कि वह सामर्थ्य से परे है, विशेष आवश्यकता वाले अभावग्रस्त उपजाति अल्पसंख्यकों के दूर-दराज और अलग-अलग समुदायों के तथा शिक्षा से वंचित नगरीय व दुसरे लोगों का समावेश वर्ष 2015 तक सार्वभौम प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति की रणनीतियों का अभिन्न अंग होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इन विकास कार्यक्रमों ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि कोई भी देश 'समावेशी शिक्षा' को कार्य रूप दिए बगैर अपनी तरक्की कर ही नहीं सकता।

समावेशी शिक्षा, शिक्षा के संबंध में निति और अभ्यास दोनों स्तरों पर एक वास्तविक परिवर्तन को दर्शाती है। शिक्षार्थियों को इस प्रणाली के केंद्र में रखा जाता है, जिससे उसकी सीखने की विविधता को पहचानने, स्वीकार करने और जबाब देने में सफलता हासिल की जाए। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है इसीलिए इस शिक्षा को निति स्तर पर समर्थित करने, लक्ष्य रखने एवं कार्यान्वित करने की आवश्यकता है।

समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मुख्य धारा परिस्थिति में सभी बच्चों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान तथा पूरे विद्यालय दृष्टिकोण को सुनिश्चित करने के लिए, स्कूलों को अधिक समावेशी बनाने के लिए आवश्यक उपायों को प्रदान करना है। समस्त बच्चों की शिक्षा के लिए विद्यालयों को आवंटित सामान्य वित्त पोषण को समावेशी शिक्षा का हिस्सा होना चाहिए, इसमें बच्चों की विफलता की स्थिति में विद्यालयों के लिए अतिरिक्त धन की सहायता भी शामिल है इसके अलावा इसमें अधिक गहन समर्थन की आवश्यकता वाले बच्चों पर अधिक धन की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। समावेशी शिक्षा प्रणाली के लिए अंतिम दृष्टि से यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी उम्र के बच्चों को उनके स्थानीय समुदाय में अपने दोस्तों एवं सहपाठियों के साथ सार्थक उच्च गुणवत्ता वाले अवसर प्रदान किए जाए।

संयुक्तराष्ट्र के तत्वाधान में कई अंतर्राष्ट्रीय निकाय और एजेंसियां विकलांग छात्रों के लिए शिक्षा के अवसर उपलब्ध करने एवं उसमें सुधार करने के लिए विभिन्न तरीकों से काम कर रहे हैं। इसमें आर्थिक और सामाजिक मामलों में विभाग, विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, यूनिसेफ इत्यादि शामिल हैं। इन सभी निकायों का काम विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मानक उपकरणों, कार्यक्रमों एवं क्रिया योजनाओं का साथ चल रहा है। शिक्षा के संबंध में इन सभी निकायों का कार्य सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है। इसके अलावा सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना, समावेशी और न्याय संगत गुणवत्ता की शिक्षा को सुनिश्चित करना है।

मार्टिन एंड मैग्युसन (1991) ने को-ऑपरेटिव टीचिंग प्रोजेक्ट (सी.टी.पी.) पर कार्य करके यह निष्कर्ष प्राप्त किया कि विद्यालयी रूप से असफल छात्रों को समान कक्षा के साथ ही सप्ताह में कुछ समय विशेष अनुदेशन न देने से उनकी उपलब्धी पर सामान्य बच्चों की तरह ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

कम्पास, बारबेट, लियोनार्ड एवं डेलकाद्री (1994) ने क्लास वाइज पीयरट्यूटोरिंग (सी.डब्लू.पी.टी.) विषय पर आत्मकेंद्रित एवं गैर-आत्मकेंद्रित छात्रों को लेकर अध्ययन कार्य करके यह निष्कर्ष प्राप्त किया कि आत्मकेंद्रित वाले वे छात्र जो पहले कम सामाजिक थे, सी.डब्लू.पी.टी. के उपयोग बाद अत्यधिक सामाजिक हो गए।

फुस, माथेस एवं साईमंस (1997) ने पीयर असिस्टेड लर्निंग स्ट्रेटजी और सामान्य उपलब्धी पर देखा, जिसमें इस समस्त छात्रों को हर रोज सामान्य बच्चों के साथ जोड़ी बनाकर ऊँची आवाज में अध्ययन करना पड़ता था, निष्कर्ष से पता चला कि अधिगम अक्षमता, गैर-अधिगम अक्षम लेकिन कम उपलब्धि और सामान्य उपलब्धि वाले छात्रों की उपलब्धि पीयर असिस्टेड लर्निंग स्ट्रेटजी की वजह से सार्थक रूप से बढ़ गया।

सार्जेंट रिपोर्ट (1994) के अनुसार, जहाँ तक संभव हो निःशक्त बच्चों को सामान्य बच्चों से अलग नहीं किया जाना चाहिए, अंततः निःशक्त बच्चों के साथ सामान्य विद्यालयों में विशिष्ट व्यवहार किया जाना चाहिए।

कोठारी आयोग के मुताबिक एक विकलांग बच्चे के लिए शिक्षा का पहला कार्य यह है कि सामान्य बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाये गए सामाजिक-सांस्कृतिक पर्यावरण में समंजन के लिए उसे तैयार करे। इसीलिए आवश्यक है कि विकलांग बच्चों की शिक्षा सामान्य शिक्षा प्रणाली का ही एक अविच्छिन्न अंग हो अंतर केवल बच्चे को पढ़ाने की विधि और बच्चे द्वारा ज्ञान प्राप्ति के लिए अपनाये गए साधनों में होगा। इस क्षेत्र में ऐसा बहुत कुछ है जिसे हम शिक्षा में उन्नत देशों से सीख सकते हैं।

यह सच है कि विकलांग बच्चा अपने आपको दुसरे बच्चों की अपेक्षा कमजोर तथा हीन समझते है, जिसके कारण उनके साथ पृथकता से व्यवहार किया जाता है। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में विकलांगों को सामान्य बच्चों के साथ मानसिक रूप से प्रगति करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं जिससे बच्चा यह सोचता है कि वह किसी भी प्रकार से किसी अन्य बच्चे से कमजोर नहीं है। इस प्रकार समावेशी शिक्षा पद्धति बच्चों की सामान्य मानसिक प्रगति को अग्रसर करती है। विकलांग बच्चों में कुछ सामाजिक गुण बहुत संगत होते हैं। जब वे सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं तो वे सामाजिक गुणों को अन्य बच्चों के साथ ग्रहण करते हैं। उनमें सामाजिक, नैतिक गुणों, प्रेम, सहानुभूति, आपसी सहयोग आदि गुणों का विकास होता है। निःसंदेह विशिष्ट शिक्षा अधिक महंगी एवं खर्चीली है, इसके अलावा विशिष्ट अध्यापक एवं शिक्षाविदों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी अधिक समय लेते हैं जबकि दूसरी तरफ समावेशी शिक्षा कम खर्चीली तथा लाभप्रद है।

विशिष्ट शिक्षा व्यवस्था की अपेक्षा समावेशी शिक्षा व्यवस्था में सामाजिक न्विचार-विमर्श अधिक किए जाते हैं। विकलांग तथा सामान्य बच्चों में सामान्य शिक्षा के अंतर्गत एक प्राकृतिक वातावरण बनाया जाता है। इस वातावरण में अपने सहपाठियों से सीखना, स्वीकार करना तथा स्वयं को दुसरे द्वारा स्वीकार कराया जाना समावेशी शिक्षा द्वारा ही संभव है। सामान्य वातावरण में छात्र उपयुक्तता की भावना तथा भावनात्मक समायोजन का विकास होता है। शैक्षिक योग्यता सामान्यतया समावेशी शिक्षा के वातावरण द्वारा संभव है। समावेशी शिक्षा के वातावरण के माध्यम से समानता के उद्देश्य की प्राप्ति की जानी चाहिए जिससे कोई भी छात्र अपने आपको दूसरों की अपेक्षा हीन न समझे। उपरोक्त तथ्यों से यह बात उभरकर सामने आती है कि वर्तमान समय में समावेशी शिक्षा समस्त बालकों के लिए परम आवश्यक है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि समावेशी शिक्षा की कुछ प्रमुख चुनौतियाँ हैं। बिहार जैसे प्रदेश में समावेशी शिक्षा की सफलता में सरकार के क्रिया-क्लाप की बदनामी तो होती ही है वहीं समाज माता-पिता, अभिभावक शिक्षक व विद्यालय परिवार कम दोषी नहीं है।

समावेशी शिक्षा में बच्चों के लिए तो यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि उसका व्यक्तित्व कैसा है। विशिष्ट बालक की विशेषताएँ साधारण बच्चों की तुलना में अधिक तीव्र व विचित्र होती हैं। कुछ देशों में कक्षा का बड़ा आकार एवं छात्र-शिक्षक अनुपात का कम होना, सभी छात्रों एवं शिक्षकों के लिए उत्साह को कम कर देता है। यह उस स्थिति में अत्यधिक सत्य प्रतीत होता है जब कक्षा में 100 या उससे अधिक छात्र हो जाते हैं। कुछ नकारात्मक प्रवृत्ति के शिक्षक जब हताशा में अप्रासंगिक शिक्षण विधियों का उपयोग करते हैं तो यह समावेशी शिक्षा के लिए एक चुनौती बन जाती है। कुछ मामलों में छात्रों को उनकी क्षमता के अनुसार सीखने के लिए प्रोत्साहित न करना उन्हें मंद अधिगम की ओर ले जाता है। सबसे बुरी स्थिति तब हो जाती है जब शिक्षकों द्वारा छात्रों को दण्डित किया जाता है। इस तरह के व्यवहार से विकलांग बच्चे खुद को स्कूल से दूर कर सकते

है। देश और प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था के लिए शिक्षा मंत्री भी जिम्मेदार है जो शिक्षकों की भर्ती, वित्तपोषण एवं संरचना में सुधार के अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

मुजफ्फरपुर जैसे शहर में बहुत से बच्चे स्कूल जाने के लिए लम्बी दूरी तय करते हैं, पर्यावरण परिवहन की कमी, मुश्किल इलाके, खराब सड़के और परिवारों के लिए संबद्ध लागत विकलांग लड़के और लड़कियों की शिक्षा के लिए समस्या उत्पन्न करते हैं। लड़कियों के लिए स्कूल की यात्रा करते समय उनकी सुरक्षा डर के कारण यदि उनके माता-पिता उन्हें घर पर बैठा देते हैं तो वे शिक्षा से बहिष्कृत हो जाती हैं। माता-पिता एवं छोटे भाई बहनों की देखभाल के लिए भी कुछ छात्राओं की पढ़ाई नहीं हो पाती है। स्कूल में शौचालय तक विकलांग बच्चों के पहुंच का आभाव भी एक प्रमुख बाधा है। यदि कोई बालक स्कूल में सभी दिन शौचालय का उपयोग नहीं कर सकता है तो उनके उपस्थित होने की सम्भावना कम ही है। यहाँ तक कि अगर शौचालयों को उनके लिए सुलभ बनाने के लिए अनुकूलित किया गया हो तो उसे बनाये रखा जाना चाहिए। कुछ ऐसे मामलों में जहाँ स्कूलों में शौचालय को विकलांगों के लिए अनुकूलित नहीं किया जाता है वे स्कूल विकलांग लड़के और लड़कियों को न रखने के बहाने के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। वे यह भी कहते हैं कि कोई भी सहायक स्टाफ नहीं है जो बच्चों को बाथरूम तक ले जा सकते हैं।

पूरे बिहार में समावेशी शिक्षा की दिशा भटकी जैसे प्रतीत होती है चूँकि समावेशी बालकों को भी सामान्य बालकों के सामान्य औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था मिलनी चाहिए ताकि उन्हें कम से कम पढ़ने-लिखने और साधारण गणित का ज्ञान हो जाए। समावेशी बालकों की शिक्षा का स्तर उनकी शारीरिक एवं मानसिक स्तर के अनुरूप होना चाहिए। स्कूलों में अति समावेशी वातावरण की नहीं बल्कि समावेशी प्रशिक्षित शिक्षकों की नितांत आवश्यकता है। अतः इस कमी को पूरा किया जाना चाहिए। समावेशी शिक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए वर्तमान समय में ऐसी व्यवस्था हो जिससे घर से स्कूलों तक आसानी से पहुंचा जा सके। कक्षा का बड़ा आकार एवं छात्र-शिक्षक अनुपात का कम होना एक बड़ी समस्या है।

अतः हमें विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। बालकों के माता-पिता व शिक्षक उनकी समस्याओं को इस रूप में समझे कि वे भी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें सभी के सामान्य आदर, सम्मान, विश्वास, स्नेह और सुरक्षा की आवश्यकताएँ हैं। समावेशी बालकों के व्यक्तित्व के विषय में पूर्ण जानकारी एवं समझ, शिक्षकों के लिए समावेशी बालकों के शिक्षण-प्रशिक्षण की प्रक्रिया को सरल बना देगी। उपर्युक्त सुझावों के अनुरूप चल कर बिहार में वर्तमान समावेशी शिक्षा के मार्ग में जो बाधाएँ हैं, उसे दूर किया जा सकता है।

निष्कर्ष:-

समाज के विभिन्न तबके के समुचित विकास के लिए विभिन्न शैक्षिक-आर्थिक योजनाओं के साथ बहुतायुक्त समाज की विशेषताओं को ध्यान रखते हुए वर्तमान समय में समावेशी शिक्षा की तरफ गंभीरता से ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे में यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक उत्तरदायित्व भी है कि समाज में दवाएँ हुए उन बच्चों की शिक्षा की तरफ ध्यान दिया जाए तो किन्हीं कारणों से शिक्षा से वंचित है। इसमें विकलांग बच्चों की संख्या अधिक है।

अतः वर्तमान समय में उनके लिए समावेशी शिक्षा की बात विश्व समुदाय कर रहा है जो विकलांग एवं सामान्य दोनों ही बालकों के लिए अत्यधिक उपयोगी है। जरूरत है तो बस उनकी शिक्षा के संबंध में तथ्य परक जानकारी एकत्रित की जाए जिससे उनकी परिस्थितियों के यथार्थ का व्यवहारिक आकलन करते हुए उचित नीतियाँ बनायी जाए, जिससे कि उनके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला जा सके और शिक्षा से दूर उन समस्त बच्चों को उचित शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करते हुए उन्हें नयी दिशा दी जाए जब हम कहते हैं कि सभी बच्चे हमारे देश व प्रदेश के भविष्य हैं तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इन बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराएँ और उन्हें देश तथा समाज में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार करें। इसके लिए शिक्षकों को आगे बढ़ना होगा चूँकि शिक्षकों को ही समाज-निर्माण तथा समाज का मार्गदर्शक माना जाता है। उन्हें दिन-हीन, वंचित व विशिष्ट बालकों से आत्मीय संबंध बनाना होगा तभी समावेशी शिक्षा की सार्थकता सिद्ध होगी।

संदर्भ:-

1. भार्गव, राजश्री, (2016) समावेशी शिक्षा, राजश्री प्रकाशन आगरा, पृष्ठ-117
2. यूनेस्को, 2000 वर्ल्ड एजुकेशन फोरम
3. झा, मदनमोहन, 2005, समावेशी शिक्षा, दृष्टिकोण और प्रक्रियाएँ; प्रकाशन संस्थान, नयी दिल्ली, पृष्ठ-25
4. कोठारी आयोग, 1964-66, पृष्ठ-123
5. जोशी, प्रमोद, मार्च 2017, कुरूक्षेत्र, समावेशी शिक्षा की दिशा में प्रयास
6. ठाकुर, यतीन्द्र, 2016-17, समावेशी शिक्षा, अग्रवाल पब्लिकेशन, मेरठ, पृष्ठ-163